ग्रीर होम मिनिस्ट्री से भी सनाह की है ग्रीर मुझे उम्मीद है कि होम मिनिस्ट्रो का मशिवरा हमें जल्दी मिल जाएगा। जहां तक इस मामले में स्टेट गर्वमेंटस की कसेंट चाहिए, मुझे उम्मीद है कि ग्रगर होम मिनिस्ट्री उनको लिखेगी तो ग्रिधकांश स्टेटस जरूर एग्री कर जाएंगी।

रेलों में ग्रोवर काउडिंग ग्रीर छतों पर चलने का जो सवाल है, उसके लिए हमने गाड़ियों में एक की बजाय दो अनिरिजवर्ड बोगियां लगाना शुरू किया है ताकि जो यावी विना रिजर्वेशन के जाना चाहते हैं उनको जाने में तक-लीफ न हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां रिजर्वेशन अवेलेवल होने पर भी लोग इंजिन पर ग्रीर बोगियों की छतों पर चलते हैं ग्रीर ग्रगर उनको उतारने की नौबत आतो है तो काफी झगड़ा-फिसाद होता है। ऐसी खराव परिस्थितियां कुछ राज्यों में हैं जिन पर कि हम काब नहीं पा रहे हैं। हम पूरो कोशिश बरते हैं कि लोगों को छतों पर नहीं चलने दिया जाए ताकि दुर्घटनाम्रों का नम्बर न बढे ग्रौर लोगों द्वारा ग्रनसेफ टेवल भी न किया जा सके।

जहां तक कर्मचारियों श्रीर श्रधि-कारियों के एक जोन में बने रहने का प्रक्रन है, एक जोन से दूसरे जोन में हर पांच साल के बाद पीरियोडिकल ट्रांसफर किये जाते हैं। यदि किसी श्रफसर में कोई कमजोरी पाते हैं या उसको खराब पाते हैं तो पांच साल के दरम्यान में भी ट्रांसफर कर देते हैं। यदि माननीय सदस्य को किसी श्रफसर से शिकायत है जो पांच या दस वर्ष से एक ही ठिकाने पर बने हुए हैं श्रीर जिन्होंने श्रपः। स्थान बना कर कोई गुट बना लिया है तो उसको वे रेलवे मंत्रालय के थ्र्यान में लाएं हम जरूर कदम उटायेंगे।

15.00 hrs.

ELECTION TO COMMITTEE

COURT OF ALIGARH MUSLIM UNIVER-

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRIES OF EDUCA-TION AND CULTURE AND SO-CIAL WELFARE (SHRIMATI SHEILA KAUL): Sir, I beg to move:

"That in pursuance of subclause (xxiv) of Clause (1) of Statute 14 of the Statutes of the Aligarh Muslim University, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, six members from among themselves to serve as members of the Court of the Aligarh Muslim University for a term of three years. The members so elected shall not be employees of the Aligarh Muslim University."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That in pursuance of subclause (xxiv) of Clause (1) of Statute 14 of the Statutes of the Aligarh Muslim University, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, six members from among themselves to serve as members of the Court of the Aligarh Muslim University for a term of three years. The members so elected shall not be the employees of the Aligarh

Muslim University."

The motion was adopted.